



नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

ख ७४४) काठमाडौं, वैशाख १५ गते २०५१ साल (अतिरिक्ताङ्क २ (क))

भाग ३

श्री ५ को सरकार

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको

सूचना १

श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची २ को क्रमसंख्या ५५ मिति २०५०।११।१ देखि लागू हुने गरी झिकेको छ ।

सूचना २

श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “राजपत्रांकित कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने इलाका प्रशासन शाखा र सीमा प्रशासन शाखा” लाई सोही नियमावलीको अनुसूची २ मा मिति २०५०।११।१ देखि लागू हुने गरी समावेश गरेको छ ।

सूचना ३

श्री ५ को सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को नियम ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त नियमहरूको अनुसूची २ को महल (ग) को क्रमसंख्या १ मा “प्रमुख भन्सार प्रशासक” पद थपेको छ ।

आज्ञाले,

जीतबहादुर मानन्धर
श्री ५ को सरकारको सचिव

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।



रूपरेखा कागज

संस्कृत विभाग

(क) १००० (ख) १००० (ग) १००० (घ) १००० (ङ) १०००

१०००

संस्कृत विभाग

संस्कृत विभाग

१००० (क) १००० (ख) १००० (ग) १००० (घ) १००० (ङ) १०००

१००० (क) १००० (ख) १००० (ग) १००० (घ) १००० (ङ) १०००

१००० (क) १००० (ख) १००० (ग) १००० (घ) १००० (ङ) १०००

१००० (क) १००० (ख) १००० (ग) १००० (घ) १००० (ङ) १०००

१००० (क) १००० (ख) १००० (ग) १००० (घ) १००० (ङ) १०००

१००० (क) १००० (ख) १००० (ग) १००० (घ) १००० (ङ) १०००

१००० (क) १००० (ख) १००० (ग) १००० (घ) १००० (ङ) १०००

१००० (क) १००० (ख) १००० (ग) १००० (घ) १००० (ङ) १०००

१००० (क) १००० (ख) १००० (ग) १००० (घ) १००० (ङ) १०००

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।